A: GENERAL INFORMATION

SL	NO INFORMATION	DETAILS
1	NAME OF THE SCHOOL	KLG PUBLIC SCHOOL
2	AFFILIATION NO.	2131123
3	SCHOOL CODE	81263
4	COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE	K L G PUBLIC SCHOOL, NALHEDA BAKKAL, AMBALA ROAD SAHARANPUR (247001)
5	PRINCIPAL NAME AND QUALIFICATION	Dr. NEERU TYAGI B.Sc, B.Ed, M.A.(English). MSW, Ph.D. UGC NET, JRF, SRF UP TET, CTET
6	SCHOOL EMAIL ID	KLGPUBLICSCHOOL@GMAIL.COM
7	CONTACT DETAILS	91-9761243434

B: DOCUMENTS AND INFORMATION

1: COPIES OF AFFILATION /UPGRADE LETTER AND RECENT EXTENSION IF ANY



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड Central Board of Secondary Education संबंधता - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0



As per new Affiliation Bye-Laws

Grant Letter for-:EX-02474-2021

NO: CBSE/AFF/2131123 /EX-02474-2021/2020-21/

The Manager, K. L. G. Public Se

Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding Ref: Application No. EX-02474-2021

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:

Affiliation No : Affiliated for :

Extension of General Affiliation

01.04.2020 to 31.03.2025

w of current CDVID-19 pandemic which has most severely affected ti Its pursuing to provide extension of affiliation so as to avoid any diffi renewal of various safety certificates from appropriate state authoritie

- ore, the competent authority of the Board after due consideration has accorded approval for extension of Affiliation based on (data submitted by school in online application for a further period of 5 years subject to fulfilment of following conditions: The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Lews, 2018. 2...
- The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer 3.
- appendix III issued by Detrict Education Officer (DEO) /equivalent officer. The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable plan in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and losep a copy there of for reference purpose and also advised to visit CBSE websites Le. http://cbseacademic.nic.in/ & http://cbse.nic.in/ for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites regularly.
- representation and all circulars on these Libb websites regularly.

 The school will strictly adhere to all rules regarding safety of atudents including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students. The school will ensure that Fire, Building, health and sanitation and safe drinking water certificates are renewed from time to time, as per norms.

 Admission to the school is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, 8.4.10 8, other relevant rules of Affiliation bye laws.
- The school is required to follow rule No.2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education.
- The number of sections may be restricted as per the Appendix V of the Affiliation Bye-Laws of the Board. For increase in number of sections, the School shall apply online to the Board as per rule 15.7 of Affiliation Bye laws. 9
- The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the Board, if any, arising out of these droumstances.
- The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of waste at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment conservation and cleanliness etc.
- conservation and cleanliness etc
 The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circumo. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's websits...www.cbss.nic.in
- The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
- Every affiliated school shall sponsor regularly its bonefide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations for the year mentioned while granting affiliation/up-gradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well time about the non-sponsoring of the candidates.
- Running of coaching institutions in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for verious examinations is not permitted by the Board. Strict action would be taken on defaulters.

 The Manger and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline documents/information/data submitted by the School to the Board.
- Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation 8. Examination Bye-laws and circulars/guidelines/notification issued by the Board from time to time. Any laxitly in following rules/instructions of the Board will lead to action against school as per clause 12 of Affiliation Bye-laws-2018.
- The genuineness of information / documents / data submitted shall be of school and in case, if found otherwise the school shall invite action as per affiliation Bye laws-2018 18.
- The school shall be responsible for submission of any pending compilance, reply of show case /legal notice/ compilant and for submission of date/information sought by the Board. The extension of 05 years shall be from the date of cassation of previous 19.
- The school is required to remit pending fee, if any
- The extension of affiliation is being granted as one time measure. However, the cases where the Show Cause Notice was communicated or grievance / legal cases are pending against the school, the Board will take appropriate decision in this matter.
- The school shall renew all mandatory safety certificate Le Safe Drinking Water & Health and Hygiene certificate, Fire Safety Certificate and Building Safety Certificate from concerned Govt authorities time to time
- The school shall also maintain record of certificate, compliances, data and other records/information and shall be fully responsible to produce all such records before Board and appropriate Government Authorities when asked for, falling which necessary action shall be taken as per Affiliation-Bye-Laws of the Board. The school shall also be liable for action by the appropriate Govt., in case of violation / non-compliance of the concerned Govt. norms 23.
- The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws.

This is a computer-generated document. No signature is required.

मैं यतेन्द्र कुमार गुप्ता शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि:-

1-मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है।

2-यह कि मै केoएलoजीo पब्लिक स्कूल, नल्हेडा बक्काल अम्बाला रोड सहारनपुर की स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटी का प्रबन्धक हूँ। 3—यह कि उपरोक्त मैनेमेन्ट कमेटी में 15 (पन्द्रह) सदस्यगण है, जिनकी सूचि निम्नलिखित है।

क्र0स0	नाम	पता	व्यवसाय	पद
1	श्रीमति सुनीता गुप्ता	म0न0—22, किशोर बाग, दिल्ली रोड, सहारनपुर	गृहणी	अध्यक्ष
2	श्री अनुज बंसल	आवास विकास, सहारनपुर	व्यापार	उपाध्यक्ष
3	श्री यतेन्द्र कुमार गुप्ता	म0न0—62, किशोर बाग, दिल्ली रोड, सहारनपुर	व्यापार	प्रबन्धक

4	श्री पवन गर्ग	बिलासपुर रोड, जगाधरी, हरियाणा	व्यापार	उप प्रबन्धक
5	श्रीमति दिव्या गुप्ता	किशोर बाग, दिल्ली रोड, सहारनपुर	गृहणी	कोषाध्यक्ष
6	श्री गोविन्द बागला	निकट पंजाब होटल, रेलवे रोंड, सहारनपुर	व्यापार	सदस्य
7	श्री दीपक कालडा	125, मिशन कम्पाउण्ड, सहारनपुर	व्यापार	सदस्य
8	श्री वी०के० जैन	बी-28, वसंत विहार, सहारनपुर	व्यापार	सदस्य
9	श्री सुधीर जौशी	सहारनपुर पब्लिक स्कूल पेपर मिल रोड, सहारनपुर		एजुकेसनिष्ट
10	श्री सुरेश पाल सिंह	लक्ष्मीघाम, न्यू माघो नगर, सहारनपुर	रिटायर्ड	एजुकेसनिष्ट लैक्चरार
11	श्रीमति स्मिता त्यागी	ब्रजेश नगर सहारनपुर	सर्विस	अभिभावक प्रतिनिधि
12	श्री अंशुल सिंघल	आवास विकास सहारनपुर	प्रधानाचार्य	अभिभावक प्रतिनिधि
13	डॉ० नीरू त्यागी	126, भगवती कालोनी बेहट रोड सहारनपुर	प्रिसिपल कार्य	वाहक सचिव
14	श्री अनुज पंवार	साहिब जी नगर सहारनपुर	अध्यापक	अध्यापक प्रतिनिधि
15	श्रीमति शिल्पा पासी	पटेल नगर सहारनपुर	अध्यापिका	अध्यापक प्रतिनिधि

4—यह कि उपरोक्त मैनेजमेन्ट कमेटी के सदस्यों / पदाधिकारियों का एक दूसरे को रक्त का सम्बन्ध नही है।

यह कि उपरोक्त शपथ पत्र का पैरा 01 ता 04 मेरे जाति इलम में सब सच व सही है इसमें कुछ छिपाया नहीं गया है सच बोलने में भगवान मेरी मदद करें

7. K. Gulils शपथकर्ता

प्रारूप-9 नियम 8(2) देखिये

संख्या 00671/2022-2023

दिनांक 20/09/2022



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/SAH/10060 /2022-2023

पत्रावली संख्या:4792-S

दिनांक:2012-2013

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि के0एल0जी0 एज्केशनल सोसायटी, पता-किशोर बाग, देहली रोड डा0 वर्मा के पीछे, सहारनपुर।, सहारनपुर, 247001 को दिये गये रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 445 दिनांक- 12/09/2012 को दिनांक-12/09/2022 से पांच वर्ष की अविध के लिए नवीनीकृत किया गया है | 1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |



Digitally Signed By (LOKESH SRIVASTAVA)
47F6C224A3C6BBD3AD7F7B1E65702E96DC79122C

Date: 20/09/2022 11:35:33 AM, Location: Saharanpur.

जारी करने का दिनांक-20/09/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश । प्रेषक.

ममता श्रीवास्तव, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

सचिव.. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र—2 समुदाय केन्द्र. प्रीति विहार, नईदिर्ल्ल ।

शिक्षा (७) अनुभाग लखनकः दिनांकः 👂 ५ जून , 2009 विषय :– के०एल०जी० पब्लिक स्कूल अम्बाला रोड,सहारनपुर को सी०बी०एस०ई० • नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुग्रे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतियंघों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य

होगा।
(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यिद पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नईदिल्ली / कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है,तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य रोहा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।

N.O.C

(7) राज्य सरकार द्वारा सगय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगे ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

 (9) जक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2— , उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा । भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव) उप सचिव।

संख्या-1387(1) / 15-7-2009 तद्दिनांक

पतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- शिक्षा निदेशक(मा०),उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,सहारनपुर।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर।

4- निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०,लखन्छ।

5- प्रबंधक,के०एल०जी० पब्लिक स्कूल अम्बाला रोड,सहारनपुर।

6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

भूरो (ममता श्रीवास्तव) उप सचिव। ्र

4: COPY OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT 2009 AND ITS RENEWAL IF **APPLICABLE**



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड Central Board of Secondary Education



संबंधता - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0 As per new Affiliation Bye-La

Grant Letter for-:EX-02474-2021 NO: CBSE/AFF/2131123 /EX-02474-2021/2020-21/

The Manager, K. L. G. Public School Naiheda Bakkal, Ambala Road UTTAR PRADESH,SAHARANPUR, 247001 (M-09761704949)

Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding Ref: Application No. EX-02474-2021

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:

Affiliated for : Senior Secondary

Extension of Gene Period of Extension of : 01.04.2020 to 31.03.2025

In view of current COVID-19 pandemic which has most severely affected the normal functioning of schools in the country, however, the school is pursuing to provide extension of affiliation so as to avoid any difficulty for the purpose of admission /registration/ obtaining loan/framewal of various safety certificates from appropriate state authorities.

Therefore, the competent authority of the Board after due consideration has accorded approval for extension of Affiliation based on details/data submitted by school in online application for a further period of 5 years subject to fulfilment of following conditions:

1. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.

2. The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Lews, 2018.

- The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as p appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer
- The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas.
- The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy there of for refer purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. http://cbsecademic.nic.in/ & http://cbse.nic.in/ for updates. The School expected to see all circulars on these CBSE websites regularly.
- The school will strictly adhere to all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, schowll provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys an girls separately in proportion to the number of students. The school will ensure that Fire, Building, health and sanitation and safe drinking water certificates are renewed from time to time, as per norms.
- on to the school is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, other relevant rules of Affiliation bye laws.
- The school is required to follow rule No.2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education.
- The number of sections may be restricted as per the Appendix V of the Affiliation Bye-Laws of the Board. For increase in number of sections, the School shall apply online to the Board as per rule 15.7 of Affiliation Bye laws.
- The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances. 10.
- The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of wast at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment conservation and cleanliness etc.
- The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circular no. affiliation-05/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's websits: www.cbss.nic.in 12.
- The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
- Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from the year mentioned while granting affiliation/up-gradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in time about the non-sponsoring of the candidates. 14.
- Running of coaching institutions in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations is not permitted by the Board. Strict action would be taken on defaulters.
- The Manger and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline docum information/data submitted by the School to the Board. 16.
- Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation & Examination Bye-laws and circulars/guidelines/notification issued by the Board from time to time. Any laxity in following rules/instructions of the Board will lead to action against school as per clause 12 of Affiliation Bye-laws-2018.
- The genuineness of information / documents / data submitted shall be of school and in case, if found otherwise the school shall invite action as per affiliation Bye laws-2018 18.
- The school shall be responsible for submission of any pending compliance, reply of show case /legal notice/ complaint a submission of date/information sought by the Board. The extension of 05 years shall be from the date of osssation of providing the submission of affiliation.
- The school is required to remit pending fee, if any
- The extension of affiliation is being granted as one time measure. However, the cases where the Show Cause Notice was communicated or grievance / legal cases are pending against the school, the Board will take appropriate decision in this matter.
- The school shall renew all mandatory safety certificate Le Safe Drinking Water & Health and Hyglene certificate, Fire Safety Certificate and Building Safety Certificate from concerned Govt authorities time to time
- The school shall also maintain record of certificate, compliances, data and other records/information and shall be fully responsible to produce all such records before Board and appropriate Government Authorities when asked for, falling which necessary action shall be taken as per Affiliation-Bye-Laws of the Board. The school shall also be liable for action by the appropriate Govt., in case of violation / non-compliance of the concerned Govt. norms
- The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws.

Deputy Secretary/ Joint Secretary(Affiliation)

This is a computer-generated document. No signature is required.

5: COPY OF BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER NATIONAL BUILDING CODE

CITION - 10/10/AEST 12715 22-1-19

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि के0एल0जी0 पब्लिक स्कुल,

अम्बाला रोड, नल्हेडा बक्काल, सहारनपुर का निरीक्षण दिनांक 22-01-2019 को किया गया। भवन प्रथम दृष्टया सामान्य श्रेणी का एवं मजबूत प्रतीत होता है। नैशनल बिल्डिंग कोड-2005 की चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलम्बक- चैकलिस्ट

सहायकं अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोजनि०वि०, सहारनपुर

K.L.G. PUBLIC SCHOOL Nalheda Bakkal, Ambala Road Saharanpur-247001

6: COPY OF FIRE SAFETY CERTIFICATE AS ISSUED BY THE COMPLEMENTRY AUTHORITY

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट (ख) माध्यमिक विद्यालय (कक्षा–1 नर्सरी से 12) हेतु चेकलिस्ट के०एल०जी० पब्लिक सीनियर सेकण्डरी स्कुल

कार्वाला रोड, गल्हेडा बक्काल, सहारनपुर				
4io	0 000	निरीक्षण आख्या		
	भवन की चेक लिस्ट			
3	वया भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हों .		
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हों		
3	वया भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	नहीं दों मंजिला		
4	वया भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	नही		
5	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मीठ खुला स्थान है?	हाँ		
6	वसा भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ		
7	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौडाई न्यूनतम 12 मी0 है?	हाँ		
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ		
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की समेंट मसाले से बनी है?	TOP W		
10	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है?	ामही ५		
1	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ		
2	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्ड्रीवाल गेट) की चौडाई 6.0 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है?	हाँ		
3	क्या खिडिकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ		
4	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ		
5	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौडाई 1.0 मी0 ऊंचाई 2.0 मी0) है?	हाँ		
3	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ		
	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौडाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजूर 150 मिमी0 है?	हाँ		

Natherla Barbal, Ambala Ros

45NI 10/10/10/10/10 B= 22/1/19

18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	हाँ
19	क्या भवन के कोरीडोर की उंचाई न्यूनतम 2400 मिमी0 है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, केरोसीन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकडी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	नहीं
21	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में रिधत है?	हाँ
22	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
23	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
24	भवन यदि दो मंजिला है तो-	
	(1) क्या भवन में तथा छत पर 5000 लीटर क्षमता का टैंक स्थापित है?	हाँ
	(11) क्या भवन में बेसमेन्ट (200 वर्ग भीठ क्षेत्रफल या अधिक) बना है?	हाँ
25	क्या भवन में विकंलागों हेतु रैम्प की चौडाई न्यूनतम 1500 मिमीठ तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	नहीं
26	क्या भवन की सीढियां छत पर खुलती है?	हाँ
27	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
28	क्या भवनके किसी भी तल की रिहायश क्षमता (Occupancy Load) 4 वर्ग मीठ प्रति व्यक्ति से अधिक तो नहीं है?	नहीं
29	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	हाँ
30	क्या दस वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं	हाँ

PELINCIPAL DU 179

Natheria Bakkel, Ambala Ross Saharanpur-247001

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट (ख) माध्यभिक विद्यालय (कक्षा-1 नर्सरी से 12) हेतु चेकलिस्ट

के०एल०जी० पब्लिक सीनियर सेकण्डरी स्कुल

REFO		निरीक्षण आख्य
40	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	Integral Office
	भवन की चेक लिस्ट	
1	वया भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	र्ही
2	वया भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हों
3	वया भवन तीन मंजिल से अधिक जंबा है?	नहीं दों मंजिला
4	क्या भवन हेतु भूभि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	नही
5	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 भीठ खुला स्थान है?	हों
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौडाई न्यूनतम 12 मी0 है?	हाँ
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की समेंट मसाले से बनी है?	18 y
10	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है?	ामही भू
11	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
2	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्ड्रीवाल गेट) की चौडाई 6.0 मी0 एवं ऊंचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
3	क्या खिडिकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
4	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
5	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौडाई 1.0 मी0 ऊंचाई 2.0 मी0) है?	हाँ
6	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
7	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौडाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजूर 150\मिमी0 है?	हाँ

K.L.G. PUBLIC Nalheda Balladi, Ambala Ross Sahuranpur-247001

कार्यालय उप निदेशक फायर सर्विस, सहारनपुर

पत्रांक, 2014/SRR/ 65 /SDR/46

दिनांक ०६ मई 2014

सेवा में

प्रबन्धक / स्ताभी के०एल०जी० पब्लिक स्कूल अम्बाला रोड, सहारनपुर

विषय:- प्लाट/खसरा नम्बर 281,282,385/285,284,285,259,273तहसील व जिला सहारनपुर में निर्मित के0एल0जी0 पब्लिक स्कूल अम्बाला रोड़ सहारनपुर मवन की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं० शून्य दिनांक 28.04..2014 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया 表1

उक्त प्रश्नगत भवन के मानचित्रों में अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी / मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया एवं सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

भवन की संरचना:-पत्र संख्या सी०एफ०ओ०-टी / 07 दिनांक 20.10.07 के अनुसार प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत है-

1-कुल भूखण्ड एरिया- 11617.00 वर्ग मी0। 10920.14 वर्ग मी0 रोड बाइंडिंग के बाद 1- निर्मित भूतल कवर्ड एरिया 1090.20 वर्ग मी०।

2-प्रथम तल से ऊपरों तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया 1007.38 वर्ग गी0 (प्रत्येक तलवार विवरण)-

3-बेसमैन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया- x

4-बेसमैन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया- ×

5-बेसमैन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया- ×

6-भवन की ऊंचाई - 8.4 मी0 (निर्मित)।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० शैक्षणिक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

पहुंच मार्ग- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 12.0 मीटर रोड की चौडाई है। PRINC K.L.G. PUBLIC SCHOOL प्रवेश द्वार की चौडाई 4.80 मी0 जो मानक के अनुसार है। Nalheda Bakkal, Ambala Road Saharanpur-247001

2 सैटबेक:— भवन का सैटबेक निम्नवत है— ए०—अग्रमाग—17.33 मीठ से अधिक। बीठ—पृष्ठ भाग—6.0 मीठ से अधिक सीठ—पार्श्व भाग प्रथम—6.0 मीठ। डीठ—पार्श्व भाग द्वितीय—42.88 मीठ है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन नियमावली के अनुसार है। सेटबैक सर्दव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

- 3-निकास मार्ग:-भवन में 03 स्टेयर प्रत्येक तल पर जिनकी चौडाई 1.50 मी0 का प्राविधान किया गया है. जिनकी पलोर के समस्त स्थानों से द्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।
- 4-रिफ्युज एरिया:- वांक्रित नहीं है ।
- <u>5 अग्निशमनसुरक्षा व्यवस्थाः—विद्यमान भवन में</u> नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया—2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ पूर्ण की गई है ।
- 1-होजरील/डाउन कामर :-वांछित नहीं है।
- 2-टेरिस टैंक एवं टेरिस पम्प:-, वांछित नहीं है।
- 3- भूमिगत टैंक:- वांछित नहीं है।
- 4-पम्प-, वांछित नहीं है।
- 5-वेटराइजर- वांछित नहीं है।
- 6-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भारतीय मानक ब्यूरों -2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित किये गये जो आई०एस०आई० मार्क है।
- 7-ओटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-, वांछित नहीं है।
- 8-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- वांछित नहीं है।
- 9-ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:- वांछित नहीं है।
- 10-स्मोक एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम:- वांछित नहीं है।
- 11-प्रोशराईजेशन प्रणाली:- वांछित नहीं है।
- 12-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये है।
- 13-पी०ए० सिस्टम:- पी०ए०सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर भवन को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:-

 भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाएं रखने हेतु मैन्टीनेन्स शैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।

 भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्थिक नियुक्त किया जाये।

> Nalheda Baldoal, Amballa Road Saharanpur-247001

- 3. किसी प्रकार का अतिरिवत निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विमाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाये।
- 5. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए, इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।
- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीव रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अमाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

प्रभारी उपमिदेशक (फाठस०) / प्रभारी उपमिदेशक (फाठस०) / प्रभारी उपमिदेशक्तनण्डाहर्काला सहारनपुर प्रिकेश सहारनपुर

(अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन अधिकारी)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य/अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2. आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ

KLG PUBLIC SCHOOL
Salheds School Arebala Rose
5 th counter-247001

7: COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOPR AFFILATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL

		-
**	नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक	162638
	प्रारूप — 9	-
संख्या 2131	नियम 8 (2) देखिये	2534
नवीकरण संख्या 632 एतद्द्वारा प्रमाणित वि	पाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र वेनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन) पत्रावली संख्या दिनांक 4792-एस 20	002-2003
4601 116 4	60 वमा क पाछ सहारनपुर।	को
दिये गये रिजस्ट्रीकरण प्रमा	ण-पर्य दिनां के 2-09-2002	. को दिनांक
12-09-20.17 से पांच वर्ष व	की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।	
	की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त	हो गयी है ।
PRINCIPAL K.L.G. PUBLIC SCHOOL Nalheda Bakkal, Ambala Ro Saharanpur-247001	चित्रार प्र चित्रार प्र	देश
पाण्याच्याच-एवपाठ 2 साव क्य एव वि	(₹8-21-11-2014-(1374)-2,00,000 mi3-4 (50/20/	क्रान्डेट)।

8: COPY OF VALID HEALTH AND SANITATION CERTIFICATE:

Date: 24.01.2019 It is certified that an Inspection Team headed by Mr. Dr. Geeta Ram (Nagar Swasthay Adhikari) from Nagar Nigam inspected the K.L.G. Public School, Nalheda Bakkal, Ambala Road, Saharanpur on 24.01.2019 and found that the K.L.G. Public School is maintaining the Hygenic Sanitation condition in the School Building and the campus as per the norms prescribed by the Central/State/U.T.Govt The above valid for a period of 24.01.2019 to 23.01.2020 Sign with Seal . स्थप निगम Designation To. The Principal, K.L.G. Public School, Nalheda Bakkal, Ambala Road, Saharanpur. Uttar Pradesh. KLG PUBLIC SCHOOL Nalheda Bakkal, Ambala Road Saharanpur-247001